(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/258

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना पत्र	165/24 165/24	23/5/24	10/6/24 निर्णित	

अनवान

श्री धोडूलाल पुत्र लक्ष्मण बलाई — श्री राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार

निवासी धनवाड़ा — निवासी बिजोलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री ओमप्रकाश पलीवाल — श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

: छोटूलाल बनाम राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार

किस्म मुकदमा 111 - 128 नम्बर 165 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/05/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 06/06/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
6/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक .../6/24 को वास्ते आदेश पेश हो। तामील प्राप्त। उपखण्ड अधिकारी	
.../6/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त। पैरोकार सरकार विपक्षी की ओर से उपस्थित। पत्रावली में विपक्षी की ओर से किसी प्रकार का जवाब (आपत्ति) नहीं पेश की गई। पत्रावली में आदेश पारित किए गए एवं तहसीलदार बिजौलिया को पालना के लिए लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 165/24 तारीख दायर 31/5/24

1–छोटुलाल पुत्र लक्ष्मण जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) –प्रार्थी

बनाम

1–भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) –विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:–आदेश:– दिनांक 10/6/24

प्रार्थनापत्र छोटुलाल पुत्र लक्ष्मण ने जरिये अधिवक्ता **श्री दीपक मीणा** एडवोकट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि **भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 199 आराजी नंबर 305 रकबा 1.0846 हैक्टेयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार /गैर खातेदार का तकार है। पडोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 199 आराजी नंबर 305 रकबा 1.0846 हैक्टेयर भूमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एंव पत्थरगढी शुल्क राशि 100/–रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 165/24 तारीख दायर 23/05/24

प्रेषितिः–

तहसीलदार

बिजौलियॉ

विषय :–प्रकरण संख्या ....165/24........पत्थरगढी बाबत् ।

1–छोटुलाल पुत्र लक्ष्मण जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) –प्रार्थी

बनाम

1–भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) –विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्र्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षै़त्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 199 आराजी नंबर 305 रकबा 1.0846 हैक्टेयर भूमि** की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **श्यामपुरा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया